न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 02/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भगवानाराम पुत्र खंगाराराम जाति–बिश्नोई, निवासी– निवासी–भड़कुआ, तहसील व जिला सांचौर (राजस्थान)		1 रामलाल पुत्र जालाराम जाति–बिश्नोई, निवासी–भड़कुआ तहसील व जिला–सांचौर (राजस्थान) 2 व्यवस्थापक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा–सांचौर 3 तहसीलदार सांचौर, जिला सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 26.02.2019

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

:– निर्णय :– दिनांक :– 02.08.2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ग्राम भड़कुआ, पटवार हल्का–हरियाली के खेत खसरा संख्या 32 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा संख्या 33 रकबा 1.27 हैक्टेयर आया हुआ है जो प्रार्थी के अलग से बंटसुदा, कब्जा काश्त आया हुआ है जिसमें प्रार्थी की रहवासीय ढाणी बनी हुई है। उक्त भूमि पर वर्षो से प्रार्थी खेती–बाड़ी करता आ रहा है। प्रार्थी को उक्त खेत में आने जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत व रहवासीय ढाणी में आने जाने के लिए अप्रार्थी के खातेदारी खेत ग्राम भड़कुआ के खसरा संख्या 31 रकबा 1.43 हैक्टेयर में से 0.028 हैक्टेयर भूमि पांच मीटर चौड़े रास्ते की निकटतम रूट से आवश्यकता है। उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत में आने–जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है, जो आगे गांव, ढाणी शहर जाने के लिए सांचौर से हरियाली व झाब जाने वाली पक्की डामर सड़क को जोड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने व आने जाने का निकटतम रूट व सु[illegible] विवादित स्थान की भूमि से प्रार्थी आवागमन करता आ रहा है। लेकिन रेकर्ड में [illegible] हुआ जिसका नाजायज फायदा उठाकर अभी अप्रार्थी उक्त [illegible] होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से चलने से मना कर दिया है।

प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थी के ग्राम भड़कुआ के खेत खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.06 16:17:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

31 रकबा 1.43 हैक्टेयर में से 0.028 हैक्टेयर भूमि पांच मीटर चौड़े रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। जिसे सलंग्न नक्शे में परिशिष्ठ 'अ' में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त आवेदित रास्ते के अभाव में प्रार्थी के बच्चों के शिक्षा हेतु स्कूल आने—जाने, खेतों में व रहवासीय ढाणी में आने—जाने काश्त के साधन, उपकरण लाने ले जाने राशन सामग्री लाने ले जाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार सांचौर द्वारा दिनांक 24.06.2024 को मौका जांच रिपोर्ट पेश की, जिसके अनुसार खसरा संख्या 31 में से खसरा संख्या 33 में आवागमन हेतु 57*5=285 मीटर चौड़ा रास्ता हेतु कुल भूमि 57*5=285 वर्गमीटर व खसरा संख्या 34 में से 65*5=325 वर्गमीटर तथा ग्राम हरियाली के खसरा संख्या 1192 में से 52*5=260 वर्गमीटर रास्ते हेतु भुमि का रकबा बनता है खसरा संख्या 1192 संयुक्त खातेदारी का खेत है तथा यदि वहां से रास्ता दिया जाता है तो उक्त खातेदारी के खसरा संख्या 1192 का दो भागों में विभाजन हो जायेगा। अतः सुविधा हेतु खसरा संख्या 31 में से मौका जांच रिपोर्ट में प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार संकेत ए से बी तक रास्ता दिया जाना उचित है।

बहस अधिवक्ता एकपक्षीय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण से रास्ते की मांग हेतु आवेदन दिनांक 26.02.2019 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई आवागमन का रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थी के ग्राम भड़कुआ के खेत खसरा संख्या 31 रकबा 1.43 हैक्टेयर में से 0.028 हैक्टेयर भूमि पांच मीटर चौड़े रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है जिसे सलंग्न नक्शे में परिशिष्ठ 'अ' लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थी के आवेदित रास्ते के अभाव में प्रार्थी के बच्चों के शिक्षा हेतु स्कूल आने जाने खेतों व रहवासीय ढाणी में आने जाने काश्त के साधन, उपकरण लाने ले जाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नक्शा सलंग्न परिशिष्ठ 'अ' में लाल स्याही से दर्शाया गया स्थान से रास्ता सबसे नजदीक एवं सुलभ रास्ता है। अतः रास्ते का प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, जमाबंदी संवत 2069–2072 नक्शा परिशिष्ठ 'अ' का गहनता से अध्ययन व अवलोकन कर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर [illegible] किया।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251'क' में कानुनी प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है जबकि उसकी अत्यांतिक आवश्यकता हो, साथ ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। भू—अभिलेख निरीक्षक अरणाय की मौका जांच रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 33 में आवागमन हेतु कोई कटाण मार्ग

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.06 16:17:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उपलब्ध नहीं है। अतएवः प्रार्थी की आत्यांतिक आवश्यकता है। खसरा संख्या 32 व 33 के आवागमन हेतु आवेदित रास्ता जिसकी मांग खसरा संख्या 31 रकबा 1.43 हैक्टेयर से की गई है, जो सबसे सुविधाजनक है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि मौजा भड़कुआ, पटवार मण्डल– हरियाली के खसरा संख्या 31 रकबा 1.43 हैक्टेयर में से निरीक्षक भू–अभिलेख अरणाय की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 31 रकबा 1.43 हैक्टेयर में से 57 मीटर व 5 मीटर चौड़ा रास्ता हेतु कुल भूमि 57*5=285 वर्गमीटर भूमि अर्थात् 0.0285 हैक्टेयर खातेदारी भूमि से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित व विधि संगत समझते है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। भू–अभिलेख अरणाय की मौका जांच रिपोर्ट के प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार ग्राम भड़कुआ के खसरा संख्या 31 रकबा 1.43 हैक्टेयर में से खसरा संख्या 32 व 33 के खातेदार को निकटतम रास्ता हेतु 57 मीटर लंबा व 5 मीटर चौड़ा रास्ता हेतु कुल भूमि 57*5=285 वर्गमीटर अर्थात 0.0285 हैक्टेयर भूमि अभिघृति निर्वापित करते हुए इसका रकबा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 70(1)(ii)क के अनुसार वर्तमान डी.एल.सी दर की दुगुनी राशि 28906/– अक्षरे अठाईस हजार नौ सौ छः रूपये खसरा संख्या 31 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की भूमि हेतु भुगतान करावें। प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अलमदरामद कर भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालु करावें। अप्रार्थी खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक की ऐसे खातेदार/वारिसान राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबित फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.06 16:17:54 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner